रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272803
CG-DL-E-22052026-272803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948
No. 351] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सं. 08/2026-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 386(अ).— जहां कि, चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "मोनोआइसोप्रोपाइलअमीन" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2921 11 90, 2921 19 12 और 2921 19 90 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों, फा. सं. 6/46/2024-डीजीटीआर, दिनांक 23 फरवरी, 2026, जो दिनांक 23 फरवरी, 2026 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित हुए थे, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

i) विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश से भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है;

(ii) घरेलू उद्योग को संबंधित वस्तुओं के संबंध में डंपिंग के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(iii) आयातित वस्तुओं का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है और घरेलू उद्योग के मूल्यों को कम कर रहा है।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाली विषयगत वस्तु पर, जो कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर दर पर, कॉलम (9) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार, प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 11 90, 2921 19 12 और 2921 19 90	मोनोआइसोप्रोपाइलअमीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	290	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	290	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट: सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/22/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

No. 08/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 386(E).— Whereas, in the matter of "Monoisopropylamine" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 2921 11 90, 2921 19 12 and 2921 19 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* F. No. 6/46/2024-DGTR, dated the 23rd February, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd February, 2026, has come to the conclusion that-

(i) the product under consideration has been exported to India from the subject country at a price below normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping in respect of the subject goods;

(iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement(UoM) as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UoM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 11 90, 2921 19 12 and 2921 19 90	Monoisopropylamine	People's Republic of China	Any Country including People's Republic of China	Any producer	290	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any producer	290	MT	USD

Note: *The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/22/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.22 22:04:17 +05'30'